<u>सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्न</u>

<u>(Frequently Asked Question)</u>

सामान्यतः अभ्यर्थियों द्वारा आयुष पाठ्यक्रमों B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. B.N.Y.S. प्रवेश / काउन्सिलिंग से सम्बंधित पूछे जाने वाले प्रश्न –

प्रश्न 1/ आयुष पाठ्यक्रमों B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. B.N.Y.S. में प्रवेश क्या नीट (NEET) के माध्यम से सीधे प्राप्त किया जा सकता है ?

उत्तर- आयुष पाठ्यक्रमों में भारत सरकार आयुष मंत्रालय/ CCIM/ CCH के प्रावधानों / निर्देशों के आधार पर <u>"म.प्र.आयुर्वेद, होम्यो. यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग प्रवेश नियम – 2019"</u> के अनुसार Mponline पर पंजीयन कराने के पश्चात् नियमानुसार मेरिट के आधार पर प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा |

प्रश्न 2/ क्या प्रवेश प्राप्त करने के लिए च्वाइस लॉक करना आवश्यक है ?

उत्तर- पंजीयन के पश्चात् प्रकाशित निर्धारित अवधि तक च्वाइस लॉक करना आवश्यक है |

प्रश्न 3/ आयुष पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए क्या प्रक्रिया अपनानी होगी ?

उत्तर- म.प्र. आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग स्नातक प्रवेश नियम - 2019 के प्रावधान अनुसार ayush.mponline.gov.in के माध्यम से पंजीयन व अभिलेख सत्यापन के आधार पर तैयार / प्रकाशित मेरिट अनुसार च्वाइस लॉक कर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं |

प्रश्न 4/ क्या प्रवेश से पूर्व अभिलेख सत्यापन कराना आवश्यक है ?

उत्तर- प्रकाशित प्रवेश नियमानुसार निर्धारित 09 सत्यापन केन्द्रों पर किसी एक केंद्र पर अभिलेख सत्यापन कराना आवश्यक है |

प्रश्न 5/ अभिलेख सत्यापन कहाँ-कहाँ कराया जा सकता है ?

उत्तर- प्रवेश नियम के नियम 9.9 में उल्लेखित प्रदेश के 09 सत्यापन केंद्र – शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद , होम्यो., यूनानी महाविद्यालय भोपाल एवं शास. (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, बुरहानपुर में अभिलेख सत्यापन कराया जा सकता है |

प्रश्न 6/ अभिलेख सत्यापन हेतु क्या अभ्यर्थी को सत्यापन केंद्र पर स्वयं उपस्थित होना होगा ?

उत्तर- जी हाँ|

प्रश्न 7/ पंजीयन व अभिलेख सत्यापन क्या एक बार ही होगा ?

उत्तर- प्रवेश नियम – 2019 की कण्डिका 9.10.2 के अनुसार अभ्यर्थी को एक ही बार अभिलेख सत्यापन का अवसर प्राप्त होगा |

प्रश्न 8/ पंजीयन व अभिलेख सत्यापन के पश्चात् क्या च्वाइस फिलिंग (विकल्प चयन) पृथक से कराना होगा ?

उत्तर- प्रवेश नियम की कण्डिका 9.0, 9.1, 9.2, 9.3 के निर्देशों के अनुसार विकल्प चयन कर सकते हैं |

प्रश्न 9/ क्या प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी आयुष महाविद्यालय में प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर- शासकीय (स्वशासी) आयुष महाविद्यालय में केवल म.प्र. के मूल निवासी प्रवेश का अवसर प्रकाशित प्रवेश नियम 2019 के नियम 6 अनुसार प्राप्त कर सकते हैं | नियम 6 एवं 8 अनुसार निजी आयुष महाविद्यालय में प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी भी प्रवेश का अवसर प्राप्त कर सकते हैं |

प्रश्न 10/ आयुष महाविद्यालयों में प्रवेश प्राप्त कर लेने के पश्चात् प्रवेश निरस्त कराकर पुनः प्रवेश काउन्सिलिंग का अवसर प्राप्त कर सकते हैं ?

उत्तर- प्रवेश नियम के नियम 9.3 अनुसार नहीं |

प्रश्न 11/ B.U.M.S. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु क्या उर्दू विषय के साथ 10th या 12th पास करना अनिवार्य है ?

उत्तर- जी हाँ , प्रवेश नियम 2019 की कण्डिका 6.1 के अनुसार आवश्यक है |

प्रश्न 12/ प्रवेश के समय क्या महाविद्यालय में पूर्ण फीस जमा करानी होगी ?

उत्तर- प्रवेश नियम 2019 के अनुसार महाविद्यालय से फीस की विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सम्पूर्ण फीस जमा कराना होगा |

प्रश्न 13/ प्रवेश के समय महाविद्यालय में क्या समस्त अभिलेख प्रस्तुत करना होगा ?

उत्तर- जी हाँ |

प्रश्न 14/ E.W.S प्रवर्ग में प्रवेश प्रक्रिया क्या रहेगी ?

उत्तर- राज्य शासन द्वारा जारी आदेशानुसार प्रकाशित उक्त प्रवेश नियम – 2019 के अनुसार E.W.S. हेतु प्रवेश प्रक्रिया रहेगी |